

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री योगेश
किस्म मुकदमा - 136 भू रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 112/25
जीसीएमएस : 2025/400

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाई तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 25.07.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कृष्णलाल गलत अंकित होना बताया। जिसे दुरुस्त किया जाकर कृष्णचन्द्र किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में मेडिकल डायरी, पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की। उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम कृष्ण चन्द्र पिता नवल राम अंकित है। ग्राम सनवाड की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 1446 पर भी प्रार्थी का नाम योगेश कुमार पिता कृष्णचन्द्र अंकित है। तहसीलदार द्वारा भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के पिता का नाम विरासतन कृष्णलाल पिता नवलराम दर्ज हुआ है तथा खाता संख्या 146, 1447 में दस्तावेज के आधार पर कृष्णचन्द्र पिता नवलराम दुरस्त किया जाना उचित है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार कृष्णलाल पुत्र नवलराम के बजाय कृष्णचन्द्र पिता नवलराम तथा खाता संख्या 1447 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार कुसुम, किरण, दिलीप, योगेश, हेमलता के पिता का नाम एवं तारादेवी के पति का नाम कृष्णलाल के बजाय कृष्णचन्द्र संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

